

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/17-18/

दिनांक :- 14-9-2017

1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

विषय :- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 का राज्य आयोजना मद में बजट आवंटन।

प्रसंग:- आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के समसंख्यक पत्र क्रमांक 53495 दिनांक 12.09.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2016-17 तक के बकाया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को नियमानुसार स्वीकृत किए जाने हेतु संलग्न अंकितानुसार बजट आवंटन कर भिजवाया जा रहा है। छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-

1. आबंटित बजट राशि में से प्रथम प्राप्त होने वाले आवेदनों का पहले निस्तारण करते हुए प्राप्त आवेदनों का वरियता अनुसार भुगतान की कार्यवाही करें।
2. वार्षिक आय के प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2013-14 से सा.न्या.अ.वि.के पत्र क्रमांक एफ9(4)/छात्र/आदवेदन/सान्याअवि/2011/63202-493 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी एक पृष्ठिय आय का उद्धोषणा/शपथ पत्र के साथ साथ पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(34)राज/मुप-1 /2012 दि. 09.08.12 द्वारा जारी आय उद्धोषणा/शपथ पत्र भी मान्य होगा। आवेदक के माता पिता/संरक्षक राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फार्म नं.16 मान्य होगा।
3. निजी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने से पूर्व मान्यता एवं सम्बन्धता की पूर्ण जांच कर ली जावे।
4. समस्त छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी उ.मै.छात्रवृत्ति नियमों के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता यथा निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन,आय,जाती अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं लिये जाने,दौहरा भुगतान नहीं होने आदि की जांच कर सन्तुष्टि उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। अनियमित/गलत स्वीकृति जारी किये जाने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
6. वर्ष 2016-17 के कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 23.03.2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
7. अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर पूर्ण विवरण सहित मांग पत्र भिजवाया जावे।

संलग्न :- अंकितानुसार।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/17-18/

दिनांक :- 14-9-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित की जावे।
- 4 सिस्टम अनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 प्रभारी बजट अनुभाग राशि ऑन लाईन जारी करने हेतु
- 6 रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

अनुसूचित जाति उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति का बजट आवंटन वर्ष 2017-18

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	बजट मद मांग संख्या 51 2225-अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जाति का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संगटक, (01)-छात्रवृत्तियां एवं वजीफा, 13-छात्रवृत्तियां एवं वजीफा (राज्य निधि)
1.	3735	बीकानेर	515061
2.	4492	चूरु	1200978
3.	5349	झुंझुनू	1169205
4.	3282	हनुमानगढ़	1122681
5.	2735	श्रीगंगानगर	1462743
6.	13122	जोधपुर प्रथम	470079
7.	31714	जोधपुर द्वितीय	465939
8.	15571	पाली	1221582
9.	14459	जालौर	1022154
10.	14800	सिरोही	701451
11.	13976	बाडमेर	812673
12.	13291	जैसलमेर	154059
13.	10196	जयपुर प्रथम	1883388
14.	10198	जयपुर द्वितीय	1454496
15.	6452	अलवर प्रथम	1519677
16.	6454	अलवर द्वितीय	1367112
17.	11216	सीकर प्रथम	653640
18.	11219	सीकर द्वितीय	894963
19.	8914	दौसा	1757463
20.	16289	अजमेर प्रथम	520638
21.	16290	अजमेर द्वितीय	576069
22.	17971	भीलवाडा प्रथम	629634
23.	17972	भीलवाडा द्वितीय	644856
24.	16781	टोंक	1150986
25.	12261	नागौर प्रथम	759789
26.	12262	नागौर द्वितीय	942660
27.	20688	उदयपुर प्रथम	305802
28.	20689	उदयपुर द्वितीय	219798
29.	18401	राजसमंद	474129
30.	21402	चित्तोड़गढ़	692859
31.	22191	प्रतापगढ़	184920
32.	21127	बांसवाड़ा	285660
33.	20897	झुंजरपुर	254610
34.	21597	कोटा	684546
35.	21800	बारां	662499
36.	17137	बूंदी	604884
37.	22087	झालावाड	679848
38.	7236	भरतपुर प्रथम	839025
39.	7239	भरतपुर द्वितीय	951198
40.	7576	धौलपुर	558276
41.	8468	सवाईमाधोपुर	982503
42.	8055	करौली	1095681
योग :-			34550214

(अखरे रूपये तीन करोड पैतालीस लाख पच्चास हजार दो सौ चौदह मात्र)


वित्तीय सलाहकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/17-18/

दिनांक :- 14.9.2017

1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

विषय :- अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 का राज्य आयोजना मद में बजट आवंटन।

प्रसंग:- आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के समसंख्यक पत्र क्रमांक 53495 दिनांक 12.09.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2016-17 तक के बकाया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को नियमानुसार स्वीकृत किए जाने हेतु संलग्न अंकितानुसार बजट आवंटन कर भिजवाया जा रहा है। छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-

1. आबंटित बजट राशि में से प्रथम प्राप्त होने वाले आवेदनों का पहले निस्तारण करते हुए प्राप्त आवेदनों का वरियता अनुसार भुगतान की कार्यवाही करें।
2. वार्षिक आय के प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2013-14 से सा.न्या.अ.वि.के पत्र क्रमांक एफ9(4)0/छात्र/आवेदन/ सा.न्या.अ.वि./2011/63202-493 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी एक पृष्ठिय आय का उद्धोषणा/शपथ पत्र के साथ साथ पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(34)राज/गुप-1 /2012 दि. 09.08.12 द्वारा जारी आय उद्धोषणा/शपथ पत्र भी मान्य होगा। आवेदक के माता पिता/संरक्षक राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फार्म नं.16 मान्य होगा।
3. निजी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने से पूर्व मान्यता एवं सम्बन्धता की पूर्ण जांच कर ली जावे।
4. समस्त छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी उ.मै.छात्रवृत्ति नियमों के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता यथा निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन,आय,जाती अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं लिये जाने,दौहरा भुगतान नहीं होने आदि की जांच कर सन्तुष्टि उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। अनियमित/गलत स्वीकृति जारी किये जाने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
6. वर्ष 2016-17 के कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 23.03.2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
7. अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर पूर्ण विवरण सहित मांग पत्र भिजवाया जावे।

संलग्न :- अंकितानुसार।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/17-18/

दिनांक :- 14.9.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित की जावे।
- 4 सिस्टम अनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 प्रभारी बजट अनुभाग राशि ऑन लाईन जारी करने हेतु
- 6 रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

अनुसूचित जनजाति उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति का बजट आवंटन वर्ष 2017-18

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	बजट मद मांग संख्या 30 2225-अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02-पिछड़े वर्गों का कल्याण, 796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (06)-निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से (01)-छात्रवृत्तियां, 13-छात्रवृत्तियां एवं वजीफा (राज्य निधि)
1.	3735	बीकानेर	12834
2.	4492	चूरु	29394
3.	5349	झुंझुनूं	167256
4.	3282	हनुमानगढ़	12420
5.	2735	श्रीगंगानगर	21528
6.	13122	जोधपुर प्रथम	26910
7.	31714	जोधपुर द्वितीय	37260
8.	15571	पाली	318528
9.	14459	जालौर	195862
10.	14800	सिरोही	376380
11.	13976	बाडमेर	98759
12.	13291	जैसलमेर	374447
13.	10196	जयपुर प्रथम	1439543
14.	10198	जयपुर द्वितीय	1182877
15.	6452	अलवर प्रथम	997819
16.	6454	अलवर द्वितीय	401807
17.	11216	सीकर प्रथम	42228
18.	11219	सीकर द्वितीय	216108
19.	8914	दौसा	2919323
20.	16289	अजमेर प्रथम	22997
21.	16290	अजमेर द्वितीय	141214
22.	17971	भीलवाडा प्रथम	52618
23.	17972	भीलवाडा द्वितीय	640728
24.	16781	टोंक	953935
25.	12261	नागौर प्रथम	6023
26.	12262	नागौर द्वितीय	21114
27.	20688	उदयपुर प्रथम	740560
28.	20689	उदयपुर द्वितीय	2840465
29.	18401	राजसमंद	138593
30.	21402	चित्तोड़गढ़	254048
31.	22191	प्रतापगढ़	1639109
32.	21127	बांसवाड़ा	6486858
33.	20897	डूंगरपुर	6512695
34.	21597	कोटा	322506
35.	21800	बारां	677398
36.	17137	बूंदी	780095
37.	22087	झालावाड	623884
38.	7236	भरतपुर प्रथम	40158
39.	7239	भरतपुर द्वितीय	147733
40.	7576	धौलपुर	388559
41.	8468	सवाईमाधोपुर	1338354
42.	8055	करौली	1198058
		योग :-	34838985

(अखरे रूपये तीन करोड अडतालीस लाख अडतीस हजार नौ सौ पच्ययासी मात्र)



वित्तीय सलाहकार

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/17-18/

दिनांक :- 14-9-2017

1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

विषय :- अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 का राज्य आयोजना मद में बजट आवंटन।

प्रसंग:- आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के समसंख्यक पत्र क्रमांक 53495 दिनांक 12.09.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2016-17 तक के बकाया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को नियमानुसार स्वीकृत किए जाने हेतु संलग्न अंकितानुसार बजट आवंटन कर भिजवाया जा रहा है। छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-

1. आबंटित बजट राशि में से प्रथम प्राप्त होने वाले आवेदनों का पहले निस्तारण करते हुए प्राप्त आवेदनों का वरियता अनुसार भुगतान की कार्यवाही करें।
2. वार्षिक आय के प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2013-14 से सा.न्या.अ.वि.के पत्र क्रमांक एफ9(4)/छात्र/आदवेदन/सान्याअवि/2011/63202-493 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी एक पृष्ठिय आय का उद्घोषणा/शपथ पत्र के साथ साथ पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(34)राज/गुप-1 /2012 दि. 09.08.12 द्वारा जारी आय उद्घोषणा/शपथ पत्र भी मान्य होगा। आवेदक के माता पिता/संरक्षक राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फार्म नं.16 मान्य होगा।
3. निजी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने से पूर्व मान्यता एवं सम्बन्धता की पूर्ण जांच कर ली जावे।
4. समस्त छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी उ.मै.छात्रवृत्ति नियमों के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता यथा निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन, आय, जाती अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं लिये जाने, दौहरा भुगतान नहीं होने आदि की जांच कर सन्तुष्टि उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। अनियमित/गलत स्वीकृति जारी किये जाने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
6. वर्ष 2016-17 के कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 23.03.2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
7. अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर पूर्ण विवरण सहित मांग पत्र भिजवाया जावे।

संलग्न :- अंकितानुसार।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/17-18/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 14-9-2017

- 1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित की जावे।
- 4 सिस्टम अनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 प्रभारी बजट अनुभाग राशि ऑन लाईन जारी करने हेतु
- 6 रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति का बजट आवंटन वर्ष 2017-18

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	बजट मद मांग संख्या 51 2225-अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, 277-शिक्षा, (02)-छात्रावासों का संधारण, 13-छात्रवृत्तियां एवं वजीफा (केन्द्रिय प्रवृत्तित)
1.	3735	बीकानेर	1020060
2.	4492	चूरु	1111690
3.	5349	झुझुनू	1593600
4.	3282	हनुमानगढ	1361420
5.	2735	श्रीगंगानगर	1544800
6.	13122	जोधपुर प्रथम	511200
7.	31714	जोधपुर द्वितीय	418830
8.	15571	पाली	2399870
9.	14459	जालौर	1512060
10.	14800	सिरोही	1355260
11.	13976	बाडमेर	2883060
12.	13291	जैसलमेर	274460
13.	10196	जयपुर प्रथम	3012330
14.	10198	जयपुर द्वितीय	2683200
15.	6452	अलवर प्रथम	1264800
16.	6454	अलवर द्वितीय	1830400
17.	11216	सीकर प्रथम	472060
18.	11219	सीकर द्वितीय	1293600
19.	8914	दौसा	1371200
20.	16289	अजमेर प्रथम	812260
21.	16290	अजमेर द्वितीय	1156480
22.	17971	भीलवाडा प्रथम	977470
23.	17972	भीलवाडा द्वितीय	1180140
24.	16781	टोंक	2095260
25.	12261	नागौर प्रथम	2177360
26.	12262	नागौर द्वितीय	1398790
27.	20688	उदयपुर प्रथम	1220120
28.	20689	उदयपुर द्वितीय	917600
29.	18401	राजसमंद	1396490
30.	21402	चित्तौड़गढ	1775750
31.	22191	प्रतापगढ	464000
32.	21127	बांसवाड़ा	612800
33.	20897	झुंजरपुर	1124800
34.	21597	कोटा	1302400
35.	21800	बारां	1482090
36.	17137	बूंदी	1168060
37.	22087	झालावाड	1933120
38.	7236	भरतपुर प्रथम	694220
39.	7239	भरतपुर द्वितीय	708000
40.	7576	धौलपुर	1185600
41.	8468	सवाईमाधोपुर	1739320
42.	8055	करौली	899690
		योग :-	56335720

(अखरे रूपये पांच करोड तिरैसठ लाख पैतीस हजार सात सौ बीस मात्र)



वित्तीय सलाहकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/17-18/

दिनांक :- 14-9-2017

1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

विषय :- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 का राज्य आयोजना मद में बजट आवंटन।

प्रसंग:- आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के समसंख्यक पत्र क्रमांक 53495 दिनांक 12.09.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2016-17 तक के बकाया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को नियमानुसार स्वीकृत किए जाने हेतु संलग्न अंकितानुसार बजट आवंटन कर भिजवाया जा रहा है। छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-

1. आबंटित बजट राशि में से प्रथम प्राप्त होने वाले आवेदनों का पहले निस्तारण करते हुए प्राप्त आवेदनों का वरियता अनुसार भुगतान की कार्यवाही करें।
2. वार्षिक आय के प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2013-14 से सा.न्या.अ.वि.के पत्र क्रमांक एफ9(4)/छात्र/आवेदन/सान्याअवि/2011/63202-493 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी एक पृष्ठिय आय का उद्घोषणा/शपथ पत्र के साथ साथ पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(34)राज/गुप-1/2012 दि. 09.08.12 द्वारा जारी आय उद्घोषणा/शपथ पत्र भी मान्य होगा। आवेदक के माता पिता/संरक्षक राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फार्म नं.16 मान्य होगा।
3. निजी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने से पूर्व मान्यता एवं सम्बन्धता की पूर्ण जांच कर ली जावे।
4. समस्त छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी उ.मै.छात्रवृत्ति नियमों के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता यथा निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन, आय, जाती अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं लिये जाने, दौहरा भुगतान नहीं होने आदि की जांच कर सन्तुष्टि उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। अनियमित/गलत स्वीकृति जारी किये जाने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
6. वर्ष 2016-17 के कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 23.03.2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
7. अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर पूर्ण विवरण सहित मांग पत्र भिजवाया जावे।

संलग्न :- अंकितानुसार।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/17-18/

दिनांक :- 14-9-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रभावी मोनितरिंग सुनिश्चित की जावे।
- 4 सिस्टम अनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 प्रभारी बजट अनुभाग राशि ऑन लाईन जारी करने हेतु
- 6 रक्षित पत्रावली


वित्तीय सलाहकार


www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का बजट आवंटन वर्ष 2017-18

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	बजट मद मांग संख्या 51	
			2235-02-196-22-06- (केन्द्रिय सहायता)	
1.	3735	बीकानेर		29600
2.	4492	चूरु		32800
3.	5349	शुशुनूं		18400
4.	3282	हनुमानगढ		13600
5.	2735	श्रीगंगानगर		31200
6.	13122	जोधपुर प्रथम		10400
7.	31714	जोधपुर द्वितीय		8800
8.	15571	पाली		32800
9.	14459	जालौर		21600
10.	14800	सिरोही		32800
11.	13976	बाडमेर		34400
12.	13291	जैसलमेर		5600
13.	10196	जयपुर प्रथम		82400
14.	10198	जयपुर द्वितीय		61600
15.	6452	अलवर प्रथम		44000
16.	6454	अलवर द्वितीय		26400
17.	11216	सीकर प्रथम		20000
18.	11219	सीकर द्वितीय		20000
19.	8914	दौसा		47200
20.	16289	अजमेर प्रथम		15200
21.	16290	अजमेर द्वितीय		18400
22.	17971	भीलवाडा प्रथम		37600
23.	17972	भीलवाडा द्वितीय		35260
24.	16781	टोंक		71200
25.	12261	नागौर प्रथम		29600
26.	12262	नागौर द्वितीय		28000
27.	20688	उदयपुर प्रथम		56800
28.	20689	उदयपुर द्वितीय		24800
29.	18401	राजसमंद		103200
30.	21402	चित्तोड़गढ		52000
31.	22191	प्रतापगढ		12000
32.	21127	बांसवाड़ा		28000
33.	20897	डूंगरपुर		58400
34.	21597	कोटा		50400
35.	21800	बारां		31200
36.	17137	बूंदी		45600
37.	22087	झालावाड		59260
38.	7236	भरतपुर प्रथम		13600
39.	7239	भरतपुर द्वितीय		26400
40.	7576	धौलपुर		37600
41.	8468	सवाईमाधोपुर		31200
42.	8055	करौली		55200
योग :-				1494520

(अखरे रूपये चौदह लाख चौरानवे हजार पांच सौ बीस मात्र)



वित्तीय सलाहकार

www.rajteachers.com